उत्तराखंड में UCC का क्रियान्वयन

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC)** को लागू करने के लिये अपने नियमों को अंतिम रूप दे रही है।

प्रमुख बिंदु

- **समिति और रिपोर्ट:**
- समान नागरिक संहिता (UCC) विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से संबंधित है।
- फरवरी में गठित एक समिति द्वारा 500 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की गई।
- विभिन्न विशेषज्ञों और विधि प्रशिक्षुओं की 130 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।
- विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकता है।
- वसीयत (विभिन्न दस्तावेज़) का दस्तावेज़ीकरण और संशोधन भी डिजिटल रूप से किया जाएगा।
- **कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres- CSC)** समिति डिजिटल कौशल वाले लोगों की सहायता करेंगे।
- **कार्यान्वयन समयसीमा:**
- **उत्तराखंड के स्थापना दिवस** 9 नवंबर 2024 से पहले UCC का क्रियान्वयन अपेक्षित है।

समान नागरिक संहिता

- **समान नागरिक संहिता** भारत के सभी नागरिकों के लिये विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधि के एक समूह को संदर्भित करती है।
- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44** में **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत** के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-ucc-implementation